अनुदान संख्या 21 - रक्षा पेंशन
GRANT No. 21– DEFENCE PENSIONS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged–*					
मूल	*Original*	*26,00*				
				82,00	*4,81,60*	*+3,99,60*
पूरक	*Supplementary*	*56,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted–					
मूल	Original	38999,74,00				
				39499,18,00	43362,89,25	+3863,71,25
पूरक	Supplementary	499,44,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के *प्रभारित* भाग में, यद्यपि *₹56.00 लाख* का पूरक *विनियोग* मार्च, 2013 में प्राप्त किया गया था, व्यय स्वीकृत *विनियोग* से *₹399.60 लाख* (वास्तविक अधिक व्यय *₹399,60,400* था) अधिक हो गया। **इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदान की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित करने की आवश्यकता है।**

अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the grant, although supplementary appropriation of *₹56.00* lakhs was obtained in March 2013, the expenditure exceeded the sanctioned appropriation by *₹399.60* lakhs (actual excess was *₹399,60,400*). **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and other Retirement Benefits				
मू.	*O.*	*26.00*	*82.00*	*481.60*	*+399.60*
पु.	*R.*	*56.00*			

(I) "रक्षा - सेना - छुट्टी नकदीकरण" के अंतर्गत *₹365.96 लाख* का अधिक व्यय (*₹2.50 लाख* के पूरक *विनियोग* की तुलना में) न्यायालय डिक्री लागू किए जाने के कारण हुआ।

(I) Under "Defence - Army - Leave Encashment" - excess of *₹365.96 lakhs* (against the supplementary *appropriation* of *₹2.50 lakhs*) was due to implementation of court decree.

2. अनुदान के स्वीकृत भाग में, यद्यपि ₹49944.00 लाख का पूरक अनुदान मार्च, 2013 में प्राप्त किया गया था, व्यय स्वीकृत प्रावधान से ₹386371.25 लाख (वास्तविक अधिक व्यय ₹3863,71,24,944 था) अधिक हो गया। **इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदान की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित करने की आवश्यकता है।**

2. In the voted portion of the grant, although supplementary grant of ₹49944.00 lakhs was obtained in March, 2013, the expenditure exceeded the sanctioned provision by ₹386371.25 lakhs (actual excess was ₹3863,71,24,944). **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य के अंतर्गत हुआ/हुईं:-

Excess/savings occurred under the following major head:-

मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and other Retirement Benefits				
मू.	O.	3899974.00	3949918.00	4336289.25	+386371.25
पु.	R.	49944.00			

(I) "रक्षा" के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(I) Under "Defence" - excess occurred under the following heads:-

(का) "सेना" -

(A) "Army" –

(क) "पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" - ₹338730.53 लाख का अधिक व्यय (₹21191.20 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹3418339.30 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एक रैंक एक पेंशन स्कीम लागू किए जाने और बैंकों से लंबित पेंशन स्क्राल प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ख) "छुट्टी नकदीकरण" - ₹6685.32 लाख का अधिक व्यय (₹23954.08 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹129464.69 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) "नौसेना"

(क) "छुट्टी नकदीकरण" - ₹168.55 लाख का अधिक व्यय (₹748.70 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹15643.94 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय संशोधित आश्वासन करियर प्रोन्नति स्कीम, वेतन का पुनर्निर्धारण, स्थानीय डिस्चार्ज, पूव-निर्मोचन मामलों, मृत्यु मामलों के अधिक मामले प्राप्त होने और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के खाते में अधिक छुट्टियां जमा होने के कारण हुआ।

(ख) "पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" - ₹17905.29 लाख का अधिक व्यय (₹1659.49 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹133879.24 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) "वायु सेना" -

(क) "पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" - ₹20235.98 लाख का अधिक व्यय (₹1030.22 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹232266.60 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(a) "Pension and other Retirement Benefits"- excess of ₹338730.53 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3418339.30 lakhs including supplementary grant of ₹21191.20 lakhs) was due to implementation of One Rank One Pension scheme and receipt of pending pension scrolls from banks.

(b) "Leave Encashment" - excess of ₹6685.32 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹129464.69 lakhs including supplementary grant of ₹23954.08 lakhs); and

(B) "Navy"-

(a) "Leave Encashment" - excess of ₹168.55 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹15643.94 lakhs including supplementary grant of ₹748.70 lakhs).

Excess under the above two heads was due to receipt of more cases of modified assured career progression scheme, re-fixation of pay, local discharge, pre-release cases, death cases and more number of leave at credit of retirees.

(b) "Pension and other Retirement Benefits" - excess of ₹17905.29 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹133879.24 lakhs including supplementary grant of ₹1659.49 lakhs); and

(C) "Air Force" -

(a) "Pension and other Retirement Benefits" - excess of ₹20235.98 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹232266.60 lakhs including supplementary grant of ₹1030.22 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय एक रैंक एक पेंशन लागू किए जाने और बैंकों से लंबित पेंशन स्क्राल प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ख) "छुट्टी नकदीकरण" - ₹5834.75 लाख का अधिक व्यय (₹560.31 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹16819.23 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित आश्वासन करियर प्रोन्नति स्कीम, वेतन का पुनर्निर्धारण, स्थानीय डिस्चार्ज, पूव-निर्मोचन मामलों, मृत्यु मामलों के अधिक मामले प्राप्त होने और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के खाते में अधिक छुट्टियां जमा होने के कारण हुआ।

3. उपर्युक्त अधिक व्यय "रक्षा - सेना - पुरस्कार" के अंतर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया - ₹2700.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹800.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3500.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹3189.60 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) पदकों/नकद पुरस्कारों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

Excess under the above two heads was due to implementation of One Rank One Pension scheme and receipt of pending pension scrolls from banks.

(b) "Leave Encashment" – excess of ₹5834.75 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹16819.23 lakhs including supplementary grant of ₹560.31 lakhs) was due to receipt of more cases of modified assured career progression scheme, re-fixation of pay, local discharge, pre-release cases, death cases and more number of leave at credit of retirees.

3. The above excess was partly offset by saving under "Defence – Army - Rewards" – the original provision of ₹2700.00 lakhs was augmented to ₹3500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹800.00 lakhs. However, there was a saving of ₹3189.60 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards medals/cash awards.